अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से .....तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा
आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 20–107/2013

अपीलार्थी – श्रीमती प्रतिमा देवी

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

यह आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 20–107/2013 निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है इस अपीलवाद में सहायिका के विरूद्ध आरोप यह है कि किशनपुर (सुपौल) परियोजना के केन्द्र सं0– 58, का निरीक्षण सुचित्रा कुमारी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा दिनांक 31.08.2012 को 12:35 बजे दिन में किया गया। सहायिका अनुपस्थित पाई गई, एवं केन्द्र बंद रहने का आरोप लगाया गया। ज्ञातव्य हो कि उस आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका का पद रिक्त था।

महिला पर्यवेक्षिका के निरीक्षण रिर्पोट के अधार पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पत्रांक 1395 दिनांक 20.9.2012 द्वारा सहायिका प्रतिमा देवी से स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसमें उन्हें दिनांक 28.9.2012 को 01 बजे दिन में अपना पक्ष/बचाव देने हेतु निर्देश दिया गया। निर्देश अनुपालन में सहायिका श्रीमती प्रतिमा देवी द्वारा निर्धारित तिथि को अपना स्पष्टीकरण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के समक्ष रखा अपना स्पष्टीकरण पक्ष रखने के बावजूद भी पक्ष को नजर अंदाज करते हुए जिला प्रोग्राम पदधिकारी ने अपने पत्रांक 268 दिनांक 09.03.2013 द्वारा सहायिका श्रीमती प्रतिमा देवी को चयन मुक्त आदेश निर्गत किया गया। इस अपीलवाद की सुनवाई में अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखा एवं सबूत/कागजात प्रस्तुत किये।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल का आदेश ज्ञापांक 268 दिनांक 9.3.2012 पुर्णतः गलत आदेश है, क्योकि प्रश्नगत केन्द्र सं0– 58 पर सेविका का पद रिक्त था जो उनके चयन मुक्ति आदेश में भी लिखा है। सहायिका, दोनों पद का कार्य भार संभालती रही है निरीक्षण के दिन भी दिनांक 31.8.2012 को सहायिका केन्द्र पर उपस्थित थी उन्होंने इसके साक्ष्य में सहायिका का उपस्थिति पंजी को दिखाया जिसमें आगमन समय 8: बजे एवं प्रस्थान समय 11 बजे दर्ज है, उपस्थिति अवधि में सहायिका ने पंजीकृत लाभुक बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की है उन दिन भी 34 लाभुक बच्चे उपस्थित हुए थे जिसे अवलोकन कराया गया । उन्होंने साक्ष्य के तौर पर यह भी दिखाया कि निरीक्षण तिथि को 34 लाभुक बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दिया गया है जो उनके माता/ पिता अभिभावक के लिखित बयान से भी पुष्टि होता है

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी पक्ष रखा कि निरीक्षण तिथि को ही केन्द्र स्थल पर ही अचानक सहायिका काफी अस्वस्थ (बीमार) हो गई, अतः केन्द्र 11 बजे तक (दो घंटे) संचालित कर छुट्टी का आवेदन वार्ड सदस्या को receive प्राप्ति कराकर किशनपुर स्वास्थय केन्द्र जाकर वहाँ मौजुद सरकारी डॉक्टर डॉ0 अखिलेश कुमार से इलाज कराई चिकित्सा, प्रमाण पत्र Pathology रिर्पोट उसी तिथि का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यहाँ यह भी ध्यान आकृष्ट कराया कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के c.w.j.c.N0 1285/2010 punam kumari v/s - state of Bihar दिनांक 25.6.2010 के अनुसार आवेदन रिसीव करवाने के बाद ईलाज पर जाने की स्थिति में केन्द्र बंद रहने पर पारित चयन मुक्ति आदेश पूर्णतः अवैध है, गलत है। इसी प्रकार का similar आदेश c.w.j.c.N0 –19486/2011,317/2014 में भी one day leave पर स्पष्ट आदेश पारित है

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि यह मानवीय प्रवृति (human nature) है कि अगर कोई कर्मी कार्यालय में कार्य पर आए एवं कार्य के दौरान उसकी तबियत अचानक अत्यधिक खराब हो जाये तो सर्वप्रथम वह अपने विभागीय पदाधिकारी को इसके बारें संज्ञान में देकर शीघ्र अगल –बगल के कुशल चिकित्सक (अस्पताल) का सहारा लेकर अपनी चिकित्सा कराता है। न कि दुसरे – तीसरे दिन आने का इंतजार करता है। सहायिका प्रतिमा देवी ने तो कार्यस्थल पर ही तबियत अचानक खराब हो जाने पर अपना छुट्टी आवेदन वार्ड सदस्य को रिसीब कराकर ईलाज कराने केन्द्र के समीप सरकारी अस्पताल किशुनपर P.H.C में गई, एवं ईलाज कराई। इसके कारण निर्धारित समय से कुछ घंटे पहले केन्द्र बंद करना पड़ा एवं ऐन वक्त पर पर्यवेक्षिका केन्द्र निरीक्षण करने पहुँची थी, अतः निरीक्षण समय में केन्द्र बंद रहने पर

सिर्फ अनुमान लगा लेना कि केन्द्र संचालित नहीं हुआ यह पुर्णतः सही निर्णय न था।खुलने एवं संचालन के बारें में उन्हें लाभुकों से (केन्द्र संचालन) के संबंध में लिखित बयान लेना चाहिए, जो नहीं लिया गया। यहाँ भी विभागीय निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ

उपरोक्त सारे तथ्यों के विवेचन के अधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि D.P.O. सुपौल का आदेश पत्रांक 268 दिनांक 9.3.2013 पुर्णतः गलत आदेश है उसे निरस्त किया जाता है, तथा सहायिका को केन्द्र संचालन की जवाबदेही पुनः आदेश निर्गत की तिथि में बरकरार रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

1.11.2014

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

1.11.2014

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा